परिषदादेश संख्या– 6233 /रा०प०-र०प०/2013

प्रेषक,

अध्यक्ष,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी (नाम से),
उत्तराखण्ड।

दिनांक : 21 अक्टूबर, 2013

विषय : **राजस्व परिषद से पत्राचार के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रायः काफी प्रकरणों में यह देखने में आ रहा है कि जनपद स्तर से राजस्व परिषद को किये जाने वाले महत्वपूर्ण एवं नीतिगत विषयों से संबंधित प्रेषित पत्र/प्रस्ताव जिलाधिकारियों के स्वयं के हस्ताक्षर से नहीं प्रेषित किये जा रहे हैं जिससे यह ज्ञात हो पाना कठिन है कि संगत प्रकरणों में ऐसे पत्र/प्रस्ताव जिलाधिकारियों की संस्तुति/सहमति से भेजे जा रहे हैं अथवा नहीं। कई पत्र एवं प्रकरण सीधे तहसीलों से भी प्रेषित किये जा रहे हैं जिसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी को पृष्ठांकित नहीं की जा रही है। **वर्णित प्रक्रिया अनुचित है एवं जिसे एक स्वस्थ एवं शिष्ट परम्परा नहीं कहा जा सकता है।**

परिषद इस सम्बन्ध में यह आदेशित करते हैं कि जिलाधिकारीगण भविष्य में यह सुनिश्चित करेंगे कि परिषद को भेजे जाने वाले अति महत्वपूर्ण एवं नीतिगत पत्र/प्रकरण/प्रस्ताव उनकी स्पष्ट संस्तुति/सहमति एवं हस्ताक्षर से भेजे जायं। यदि अपवादस्वरूप, तात्कालिकता की स्थिति में, ऐसे पत्र/प्रकरण/प्रस्ताव जिलाधिकारी से इतर अन्य अधिकारी द्वारा भेजा जाना अपरिहार्य हो ऐसे पत्र/ प्रकरण/प्रस्ताव में जिलाधिकारी की संस्तुति/सहमति एवं उनके आदेशानुसार भेजे जाने का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। तहसील स्तर से वित्तीय प्रकरणों, यथा धनावंटन, व्यय की सूचना आदि के प्रस्ताव सीधे भेजे जाने की स्थिति में ऐसी सूचना/प्रस्तावों की प्रतिलिपि जिलाधिकारी को पृष्ठांकित की जानी सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
ह0—
(एस0के0 मुट्टू)
अध्यक्ष।

<u>**संख्या एवं तद्दिनांक।**</u>

प्रतिलिपि आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि मण्डल स्तर से भी उक्त व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय।

आज्ञा से,

(पी0एस0 जंगपांगी)
आयुक्त एवं सचिव